दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण

तृतीय तल, राऊज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर,
पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली -110002

24X7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1516

दिल्ली पीड़ितों मुआवजा योजना - 2018

हम अपराध से पीड़ितों की सहायता करते हैं

- कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता अधिवक्ता प्रदान करके
- उन्हें परामर्श और अन्य सहायक सेवाएँ प्रदान करके
- उनके मामले को मुफ्त चिकित्सीय उपचार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को रेफर करके
- दिल्ली पीड़ितों मुआवजा योजना -2018 के अंतर्गत मुआवजे का वितरण करके

दिल्ली पीड़ितों मुआवजा योजना - 2018 के अंतर्गत मुआवजे के लिए कौन आवेदन कर सकता है

- महिलाएं और बच्चे, विशेष रूप से जो कि शारीरिक अथवा यौन उत्पीड़न जैसे कि बलात्कार, अप्राकृतिक यौन शोषण से पीड़ित है
- तस्करी या बेगार के शिकार
- मानव शरीर के खिलाफ अपराधों से पीड़ित जैसे हत्या, एसिड अटैक, जलाना आदि के शिकार
- दिल्ली पीड़ितों मुआवजा योजना- 2018 के अंतर्गत वर्गीकृत अपराध के पीड़ितों के आश्रित व्यक्ति

*उचित मामलों में भी मुआवजा दिया जा सकता है जहां पुलिस द्वारा गुमनाम रिपोर्ट दायर की गई है और न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई है।

मुआवजे के लिए आवेदन कब पेश किया जा सकता है

- अन्तरिम और अंतिम चरण में मुआवजे के लिए आवेदन दिया जा सकता है।
- आपराधिक मामले के निपटारे के 3 वर्ष के भीतर भी मुआवजे के लिए आवेदन दिया जा सकता है ।

मुआवजे के लिए आवेदन कहाँ और कैसे दायर किया जा सकता है

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, केंद्रीय कार्यालय, तृतीय तल राऊज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली अथवा किसी भी जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं जो कि दिल्ली के 7 जिला न्यायालय परिसरों में स्थित हैं। आप वहाँ हमारे अधिवक्ताओं की सेवाएँ ले सकते हैं जो कि आप को आवेदन दायर करने में सहायता करेंगे।

संबंधित एसएचओ से पीड़ित की ओर से संबंधित डीएलएसए के समक्ष आवेदन दायर करने का अनुरोध करके।

FOLLOW US

YouTube DSLSA | /dslsa | dslsa_delhi | @dslsa_delhi

Email:lae-dslsa@gov.in   Website:dslsa.org